न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

मसल नं. 2/66/2022 तारीख रजू 09.3.22

अशोक वगैरा **बनाम** चेतराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 446, वाके ग्राम नंगलामधोपुर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मौके की यथास्थिति बनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बावत कोइ उज्र हो तो दिनांक 25.03.2022 को पेश करें कि क्यो ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 25.03.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

11/5/22	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मूल वाद के साथ पेश किया। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र 2/2 PWA में स्थगन की अवधि बढ़ाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] किया अतः प्रार्थना पत्र 2/2 PWA पर जारी स्थगन 9.3.22 की अवधि नियत दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
27/5/22	पत्रावली आज मूल वाद के साथ वकील प्रार्थी के प्रा० पत्र के आधार पर तलब हुई। वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र पेश कर इस स्टेज पर प्रा० पत्र 2/2 PWA को खारिज कराने का निवेदन किया। अतः प्रा० पत्र 2/2 PWA वकील प्रार्थी के प्रा० पत्र के आधार पर इस स्टेज पर खारिज किया। प्रा० पत्र 2/2 PWA इस स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] बाद तकमील मूल वाद के साथ शामिल रहे/दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	मैं आपत्न वादवादीगण कार्यालय [illegible] 2101 [illegible] Sd/-